

प्रेषक,

जिला बोर्ड शिक्षा अधिकारी,  
वाराणसी ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

- 1- रेखा शिक्षण संस्थान प्रा०वि०, सलापुर अकटा श्रीचरईगाँव, वाराणसी
- 2- बनारस जेसि नव ज्योति विद्यालय-नेपुरा का०वि० वाराणसी।
- 3- हीरा शिक्षा निकेतन, लक्ष्मपुर श्रीचरईगाँव वाराणसी।
- 4- गोपीराध प्रा०बा०वि०, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी नगर।
- 5- गार्गी मेमोरियल स्कूल, करौदी-सुन्दरपुर का०वि० वाराणसी।
- 6- श्रीमती केशवप्रसाद प्राथमिक विद्यालय, श्री पन्ना लाल चौबे प्रा०वि०, लालपुर-पाण्डेयपुर नगरक्षेत्र, वाराणसी ।
- 7- श्री बलदेव ज्ञानबेटी विद्यालय, बड़ागाँव, वाराणसी ।
- 8- दाबिस्ता प्रा०स्कूल, ए 34/57, सरपन्नेली अमी रोड, अंसाराबाद नगरक्षेत्र, वाराणसी।
- 9- सरस्वती विद्या मन्दिर प्रा०वि०, लालपुर नगरक्षेत्र, वाराणसी।
- 10- महावीर प्राथमिक विद्यालय, आचर हरिद्वारा वाराणसी।
- 11- श्री महर्षि बाल्मीकि प्रा०पा० दशरथापुर-गड़खाड़ा श्रीपण्डरा वाराणसी।
- 12- जय वजरंग शिक्षण संस्थान अकटा सारनाथ वाराणसी।
- 13- न्यू आदर्श बाल विद्यालय, फूलवीरिया का०वि०, वाराणसी।
- 14- ज्ञानशक्ति विद्यालय, भादऊ चुंगी, वाराणसी नगरक्षेत्र।
- 15- देशारी विद्या मन्दिर, कज्जाकपुरा नगरक्षेत्र, वाराणसी।

जनपद- भादोही

- 16- पी०के०एस० प्राथमिक विद्यालय, सुरियावाँ, भादोही ।
- 17- माँ भगवती सरस्वती शिक्षा मन्दिर महासिंह पट्टी सुरियावाँ, भादोही।

पत्रांक: शिक्षा/मान्यता/नवीन/2886-2907/95-96 दिनांक: अप्रैल 25, 1995

विषय:- प्राइमरी स्तर शिक्षा । से 5 तक की अस्थायी नवीन मान्यता ।

-----

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में जिला मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को दिनांक 1-7-94 से 30-6-97 तक तीनों वर्षों की अर्थात् के लिए कक्षा 1 से 5 तक की अस्थायी नवीन मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

- 1- संबंधित विद्यालय अपने स्वामित्व में भवन विकसित करेंगे ।
- 2- सभी प्रशिक्षित अध्यापक नियमानुसार सेवा नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारी के कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर विज्ञानोपरान्त चयन प्रक्रिया से नियुक्ति करके संस्था का संचालन जनहित में करेंगे । अप्रशिक्षित अध्यापक कदापि अनुमन्य नहीं होंगे साथ ही अप्रशिक्षित के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक तुरन्त रखे जाय ।
- 3- नियमानुसार मानक के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक सहित कुल पाँच शिक्षक ही अनुमन्य होंगे । प्राइमरी विद्यालय में लिपिक एवं चतुर्थात्तमिय कर्मचारी अनुमन्य नहीं है ।

शुभपत्र

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक

गोपी मेमोरियल स्कूल, करौदी, सुन्दरपुर  
वाराणसी।

पत्रांक: शिबिर/मान्यता/9209-13

1999-2000 दिनांक 31-3-2000

विषय:- जूनियर हाईस्कूल अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 546/15-6-97-10 एसओ 78/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 के प्राविधानान्तर्गत मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को जोहटास्कूल कक्षा 6 से 8 तक अस्थायी मान्यता, आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है। "अ" श्रेणी की मान्यता हेतु आवेदन करने पर तभी विचार किया जायेगा जब नियमानुसार विद्यालय "अ" श्रेणी की मान्यता शर्तों को पूरा करेगा।

उपर्युक्त शासनादेश में विहित प्राविधानान्तर्गत विद्यालय में निम्नांकित शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य किये जाते हैं :-

- 1-प्रधानाध्यापक - एक
- 2-सहायक अध्यापक-चार जिसमें एक विज्ञान/गणित एवं एक भाषा का होगा।
- 3-लिपिक - एक
- 4-परिचारक - एक

कुल - 07 सात

शासकीय तथा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने तथा मान्यता संबंधी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता तत्काल प्रत्याहृत कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व संस्थाधिकारियों का ही होगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

पूष्ठांकन: मान्यता/

/-। उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा मण्डल-वाराणसी।
- 2-जिला विद्यालय निरीक्षक-वाराणसी।
- 3-वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा-वाराणसी।
- 4-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी. कशी विद्यापीठ. वाराणसी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।